

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- मुम्बई

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें, श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दिनांक

जमाल डीग वनाम खटापुर
प्रकरण संख्या :- 66/17 अन्तर्गत धारा 88, 53, 120

महोदय, उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री निवेदन है, कि उक्त उनवान. का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है। अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

वादी जमाल डीग पुनः कमील व प्रतिवादी खटापुर कोर्ट
के बीच गठने के माध्यम से सुलह हो गई। इस वजह से
की प्रत्येक कोर्ट को उक्त प्रकरण कोर्ट के अंतर्गत से हटाकर
पूर्व में खटापुर कोर्ट के अंतर्गत हमारा वादा विवाद किया जाये।
अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. जमाल डीग
2.
3.

प्रतिवादी पक्ष 1.
2. खटापुर
3. नेशनल इन्डिया एनए
4. मागीना

जमाल डीग
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(वादी पक्ष) नाम

खटापुर
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वी
किया गया। अतः राजीनामा हस्तस्वच्छादिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल भिखल रहे।


(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(खटापुर)
पीठासीन अधिकारी
चौहटन

04/05/18

पत्रावली आज ककील ३५५ वाडी के
 पार्श्वना पत्र पर लोक कडाल / कोई कृपा
 बुरदान का तला में तलक की गई।
 वाडी स्थित पत्रियाडी/गम के ३५० एकर
 राजीनामा पत्र का निवेदन किया कि
 एम पत्रकारों में जांव के भी जिन लोगों
 ने सप्रशाहरा कावा डी है। एम पत्रकार
 आपकी सफाई से सप्रशाहरा कर लेंगे
 अतः हमारा वाड विज्ञो किया जावे।
 असाहित में पत्रकारों द्वारा पत्र
 राजीनामा स्वीकार किया जाता है।
 वाडी द्वारा पत्र वाड में आगे की
 कार्यवाही ३ मी स्तर पर स्थाप की
 जा कर वाड विज्ञो किया जाता है।
 पत्रावली पत्र ५ रुपर देकर दाखिल
 कर है।

पत्रावली
 बहाल
 सचिव
 सचिव



सचिव

ककील

सहायक कलेक्टर
 थोहरन